उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014

अध्याय-3

सामान्य निकाय एवं प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन क्षेत्र का अवधारण

23- आयोग द्वारा किसी सहकारी समिति अथवा सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए निर्वाचन तिथियाॅ अधिसूचित किए जाने के पश्चात् सम्बन्धित सहकारी समिति अथवा सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन के लिए क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई की जाएगी।

24- समस्त प्रकार की प्रारम्भिक सहकारी समितियों के पंजीकृत मुख्यालय से सम्बन्धित जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम-27 एवं 28 में विहित रीति एवं आयोग द्वारा दिए गये दिशा निर्देशों के अधीन आवश्यक होने पर सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों, सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उप सभापति तथा अन्य सहकारी समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही की जाएगीः

प्रतिबन्ध यह है कि, जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

25- राज्य स्तरीय /शीर्ष सहकारी समिति की दशा में क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई आयोग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

26- निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण के लिए समिति का सचिव अथवा यथास्थिति प्रबन्ध निदेशक, वह समस्त सूचनाएं अथवा तथ्य, जिसकी अपेक्षा जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा आयोग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर की जाए, उपलब्ध करायेगा।

27(1) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या यथास्थिति, सहकारी समिति के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा आयोग अथवा प्राधिकृत अधिकारी, सहकारी समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, सहकारी समिति या यथास्थिति सहकारी समिति के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन के लिए अनन्तिम रूप से निम्नलिखित बातों का अवधारण करेगाः-

(क) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, जिसमें सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किया जायेगा,
(ख) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार,
(ग) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित स्थानों की संख्या,

(घ) क्षेत्र का चिन्हांकन तथा आरक्षित स्थानों की संख्याः

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों का नाम हिन्दी वर्णमाला में उल्लिखित किया जायेगा।

(2)- तदुपरान्त जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी अनन्तिम रूप से किये गये अवधारण पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए, सुनवाई की तिथि अंकित कर उक्त अवधारण को किसी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा, जिसमें ऐसे प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी। जिसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध समिति को भी टीका-टिप्पणी के लिए भेजी जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक, जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में प्रकाशन मण्डल से प्रसारित होने वाले प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की दशा में प्रकाशन मण्डल स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के सभी संस्करणों में प्रकाशित किया जायेगाः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रारम्भिक, जिला /केन्द्रीय सहकारी समिति, जिसका कार्यक्षेत्र एक राजस्व जनपद से अधिक हो, के अनन्तिम अवधारण का प्रकाशन ऐसे प्रमुख दैनिक समाचार पत्र, जो समिति के कार्यक्षेत्र में प्रसारित होता हो, में किया जायेगा।

(3)- निर्वाचन क्षेत्र के अवधारण का मापदण्ड निम्नलिखित में एक या अधिक हो सकता है, अर्थात्ः-

1- राजस्व क्षेत्र
2- सदस्यता का/के वर्ग
3- समिति के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में अन्य तर्गसंगत आधारः

प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति अथवा प्रारम्भिक गन्ना समिति/दुग्ध समिति की स्थिति में अवधारण की इकाई यथासम्भव समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली एक या अधिक ग्राम पंचायत होगी।

(4)(क) अनन्तिम अवधारण के अधीन प्राप्त आपत्तियों और टिप्पणियों पर जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी /सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रकाशन के ग्यारहवें/ बारहवें/ तेरहवें दिन, जैसा कि अनन्तिम अवधारण में उल्लिखित हो, में सम्बन्धित आपत्तिकर्ता से सुनवाई कर विचार करेगा और सुनवाई के पश्चात् सम्बन्धित पंजिका पर आपत्ति एवं सुनवाई में प्राप्त कथन का संक्षिप्त विवरण अंकित कर उस पर आपत्तिकर्ता से हस्ताक्षर करायेगा और स्वयं भीे हस्ताक्षर करेगा।

(ख) प्रश्नगत सुनवाई में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित उल्लिखित तथ्यों की प्रतिलिपि आपत्तिकर्ता द्वारा दस रूपये प्रति पृष्ठ जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

(5) तदुपरान्त, जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी /सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियांे के निस्तारण के सम्बन्ध में यथा आवश्यक टिप्पणी सम्बन्धित पंजिका में अंकित करते हुए निर्वाचन क्षेत्रों, स्थानों की संख्या और आरक्षित स्थानों की संख्या का अन्तिम अवधारण करेगा। इस प्रकार किये गये अन्तिम अवधारण को अनन्तिम प्रकाशन के पन्द्रहवें दिन ऐसे समाचार पत्र मंे प्रकशित करेगा, जैसा उपनियम (2) मंे उल्लिखित है। ऐसे अवधारण की एक प्रतिलिपि सम्बद्ध समिति को भी जायेगी।

28- जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी /सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 29(5) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों के अधीन आरक्षित स्थानों के लिए निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों को आरक्षित करेगा और ऐसा आरक्षण उस निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों के, जहां से प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, नामों के हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चक्रानुक्रम में उस सीमा तक किया जाये, जहां तक स्थान आरक्षित किया जाना आवश्यक होः

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार आरक्षित क्षेत्रों को निम्न प्रकार से हिन्दी वर्णमाला के क्रम में आवंटित किया जायेगाः-

(1) एक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए,
(2) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए,
(3) दो महिलाओं के लिएः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो, वहां ऐसे मामलो में आरक्षण एक निर्वाचन क्षेत्र के नाम के अगले अक्षर द्वारा विनियमित किया जायेगा।

29- जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी /सक्षम प्राधिकारी का यह भी कर्तव्य होगा कि समितियों के अवधारण से सम्बन्धित अनन्तिम एवं अन्तिम अवधारण की एक प्रति सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी तथा आयोग को भी उपलब्ध करायेगा।